

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक किए गए कर्मचारियों के
परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन हेतु स्कीम



भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

जुलाई, 2013

विषय-सूची

पैरा सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	उद्देश्य	3
2.	पृष्ठभूमि	3
3.	स्कीम की मुख्य विशेषताएं	4
4.	स्कीम का कार्यान्वयन	5-7
5.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की भूमिका	7-8
6.	नोडल एजेंसियों की भूमिका	9-11
7.	अनुवर्ती और पुनर्नियोजन रणनीति	11-12
8.	मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण	12

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक किए गए कर्मचारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन हेतु स्कीम

1. उद्देश्य

1.1 योजना का उद्देश्य और कार्य केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और श्रम शक्ति पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पृथक किए गए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अतिरिक्त कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन का अवसर प्रदान करना है। कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण का लक्ष्य स्वै.से.यो./स्वै.पू.यो. अथवा उद्यम के बंद/पुनर्संरचना के कारण छंटनी की वजह से सरकारी उद्यमों से उनके पृथक्करण के बाद नए वातावरण में समायोजित होने तथा नए व्यवसाय अपनाने में समर्थ बनाने के लिए अत्यावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तैयार करना है। जबकि यह प्रतिबद्धता करना संभव नहीं होगा कि इस प्रकार पुनर्गठित अथवा छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाएगा, फिर भी ऐसे कर्मचारियों को तैयार करना वांछनीय होगा ताकि वे स्वयं को आमसृजन के कार्य में लगा सकें और उपलब्ध स्व-रोजगार अवसरों का लाभ ले सकें।

1.2 उन्हें स्व-रोजगार कार्यकलापों में लगाने और यहां तक कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से उनके पृथक्करण के बाद भी उत्पाद प्रक्रिया में पुनः शामिल होने के लिए उन्हें और कौशल प्रदान करके तैयार करने के लिए तदनुसार परामर्श और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी। युक्तिसंगत कर्मचारियों को लाभकारी कार्यों में लगाने से यह तात्पर्य निकलता है कि उन्हें आर्थिकता की मुख्यधारा में लाया जा चुका है। इसका यह भी तात्पर्य है कि वे राष्ट्रीय आय में भी अपना योगदान दे रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारियों के द्वारा स्वयं रोजगार से कई प्रभाव पड़ते हैं क्योंकि इससे अतिरिक्त रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध होते हैं।

2. पृष्ठभूमि

2.1 सरकार ने नई औद्योगिक नीति के कारण होने वाली पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मचारियों हेतु एक सुरक्षा कवच के रूप में फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में औद्योगिक इकाईयों की पुनर्संरचना और बंद होने के कारण प्रभावित कर्मचारियों के लिए और संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों दोनों में रोजगार सृजन स्कीमों के लिए यथा आवश्यक राशियां उपलब्ध कराना था। युक्तिसंगत कर्मचारियों का परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष का एक भाग है जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों, राज्य स्तरीय लोक उद्यमों और निजी क्षेत्र के संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए भी व्यय सहन कर रहा था।

2.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को मई, 2000 में संशोधित किया गया था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के संशोधन के कारण औद्योगिक नीति एवं प्रसार विभाग द्वारा प्रबंधकीय राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष को बंद कर दिया गया था और राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और संगठित क्षेत्र से पृथक किए गए कर्मचारियों को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण कार्य और पुनर्नियोजन मुहैया करवाने संबंधी कार्यों को वर्ष 2001-02 से लोक उद्यम विभाग

द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय सरकारी उद्यम के युक्तिसंगत कर्मचारियों हेतु परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की स्कीम के तहत जोड़ दिया गया है।

3. स्कीम की मुख्य विशेषताएं

3.1 सीआरआर स्कीम के तीन मुख्य घटक और योग्यता मानदंड इस प्रकार से हैं:-

3.2 परामर्श: परामर्श देना विस्थापित कर्मचारियों के पुनर्वास कार्यक्रम की बुनियादी पूर्वापेक्षा है। विस्थापित कर्मचारी को आश्वस्त आजीविका खोने के आघात को आत्मसात करने और स्वयं अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों, जो उन पर निर्भर रहते हैं, दोनों के लिए नई चुनौतियों का सामना करने हेतु मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है। उसे विशेष रूप से अपने पृथक्करण के कारण केन्द्रीय सरकारी उद्यम से प्राप्त होने वाली प्रतिपूर्ति राशि और अन्य लाभ की योजना बनाने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है ताकि उनकी निधियों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जा सके और तात्कालिक खपत अथवा गैर-उत्पादक व्यय में उसे बर्बाद न किया जा सके। तीसरे, उसे बाजार के अवसरों के नए वातावरण से अवगत कराने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी प्रवृत्ति और विशेषज्ञता के आधार पर आर्थिक कार्यकलाप कर सके और उत्पादन प्रक्रिया में बना रह सके।

3.3 पुनःप्रशिक्षण: ऐसे प्रशिक्षण का उद्देश्य युक्तिसंगत कर्मचारियों को पुनर्वास के लिए सहायता देना है। प्रशिक्षणार्थियों को नया व्यवसाय प्रारंभ करने और अपनी नौकरियां खोने के बाद उत्पादक प्रक्रिया में पुनः प्रवेश करने के लिए आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/तैयारी करने में सहायता दी जाएगी। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यथानिर्णीत ट्रेड अथवा कार्यकलाप के अनुसार 30/45/60 दिनों वाले अल्प अवधि के कार्यक्रम होंगे।

3.4 पुनर्नियोजन: परामर्श और पुनःप्रशिक्षण प्रयासों के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में युक्तिसंगत कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्वैच्छिक सेवा विकल्पधारी स्व-रोजगार के वैकल्पिक व्यवसाय में स्वयं को लगाने में समर्थ होने चाहिए। जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि युक्तिसंगत कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार मिल ही जाएगा, फिर भी केन्द्रीय प्रशिक्षण एजेंसियों तथा साथ ही केन्द्रीय सरकारी उद्यम भी विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के अधीन वाणिज्यिक बैंकों और अन्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता मांगने के लिए उनके आवेदनों का समर्थन करेंगे।

3.5 योग्यता: स्कीम में शामिल होने के योग्य होने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी की आयु 58 वर्ष से कम होनी चाहिए यद्यपि स्कीम का मुख्य केन्द्र स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी के परिवार के एक सदस्य को लाभ देने पर विचार किया जा सकता है यदि विकल्पधारी स्वयं आगे नहीं आता। फिर भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी को पारिवारिक सदस्यों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। सीआरआर स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी के आश्रितों को शामिल करने हेतु निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:-

- न्यूनतम आयु – 18 वर्ष
- अधिकतम आयु- 58 वर्ष
- प्रत्येक परिवार में से केवल एक बेरोजगार आश्रित पर विचार किया जाएगा।

4. स्कीम का कार्यान्वयन

4.1 नोडल एजेन्सियों का चयन: सीआरआर स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्थित कर्मचारी सहायता केन्द्रों (ईएसी) के माध्यम से चयनित नोडल एजेन्सियों द्वारा विभिन्न मोड्यूल्स के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाएंगे। सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु सीआरआर स्कीम का नीतिगत फ्रेमवर्क स्पष्ट है क्योंकि विभिन्न प्रकार की एजेन्सियों अर्थात् अर्धसरकारी संगठनों, स्वायत्त निकायों, गैर-सरकारी संगठनों/निजी निकायों को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। पारदर्शिता के उद्देश्य से नियम एवं शर्तों और प्रोफाइल प्रोफार्मा सहित रुचि की अभिव्यक्ति के लिए विज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। व्यापक स्तर और नए संगठनों को जोड़ने के उद्देश्य से इसे रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, जो कि विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है, की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

4.2 नोडल एजेन्सियों के चयन हेतु मानदण्डों में एजेन्सी की अवसंरचना, विभाग और प्रशिक्षण सुविधाएं, अपने नेटवर्क में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सामाजिक सुरक्षा नेट या इसी प्रकार के कार्यक्रम मुहैया कराने के क्षेत्र में पुराना अनुभव आदि शामिल हैं।

4.3 चयन समिति: स्कीम के अंतर्गत बहुमुखी चयन समिति होगी जिसको चयन के निम्न कार्य सौंपे जाएंगे- (क) नोडल एजेन्सी/ नए कर्मचारी सहायता केन्द्र; (ख) स्कीम का आकलन/निरंतर मॉनिटरिंग के लिए संस्थान/संगठन; और (ग) दीर्घावधिक प्रशिक्षण के ट्रेड/विषयों और प्रगति की आवधिक समीक्षा सहित स्कीम के अंतर्गत संबंधित मामले। चयन समिति के अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय होंगे। योजना आयोग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।

4.4 वार्षिक कार्य योजना: प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से पहले नोडल एजेन्सियां ट्रेडवार, कर्मचारी सहायता केन्द्रवार और केन्द्रीय सरकारी उद्यमवार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारियों की संख्या के आधार पर एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगी। कार्य योजना में वर्ष के दौरान प्रस्तावित विभिन्न कार्य शामिल होंगे। नोडल एजेन्सियों की कार्य योजना और पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर लोक उद्यम विभाग इन्हें वास्तविक लक्ष्य प्रदान करेगा। नोडल एजेन्सियां लिंग/कमजोर वर्ग आधारित कार्य योजना तैयार करेंगी ताकि लिंग समानता और मानव विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। युक्तिसंगत महिला कर्मचारियों/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सीआरआर स्कीम के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिकता इन वर्गों को दी जाएगी। निचले स्तर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारियों अर्थात् कामगार और पर्यवेक्षक स्टाफ को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वार्षिक कार्य योजना के आधार पर लोक उद्यम विभाग वास्तविक लक्ष्य प्रदान करेगा।

4.5 वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण: नोडल एजेन्सियों को वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों की ईएसी-वार स्वीकृति वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षणोत्तर सेवाएं प्रदान किए जाने, पुनः नियोजन की उपलब्धि, ऋणों की स्वीकृति एवं इकाइयों की

सफलतापूर्वक शुरूआत/प्रचालन हेतु सहायता प्रदान किए जाने के संदर्भ से जुड़ी होगी। निम्नलिखित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा:

- (i) नोडल एजेंसी द्वारा स्वयं ईएसी की अवस्थिति में परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है। केवल विशेष परिस्थितियों में, यदि कोई नोडल एजेंसी काफी पहले से लिखित में अनुरोध प्रस्तुत करती है, तो लोक उद्यम विभाग ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा। ईएसी की अवस्थिति में किसी परिवर्तन के लिए लोक उद्यम विभाग की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। ईएसी की अवस्थिति में स्वयं परिवर्तन करने का दोषी पाई गई किसी एजेंसी को सीआरआर से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उसे स्वीकृत राशि वापस करनी होगी।
- (ii) ईएसी-वार वास्तविक लक्ष्यों का आबंटन किए जाने के बाद उसे विनिर्दिष्ट ईएसी में समय-सीमा के अनुसार पूरा किया जाना होगा। न तो ईएसी हेतु व्यक्तिगत लक्ष्य की उपलब्धि में कोई कमी और न ही लक्ष्य को एक ईएसी से दूसरे ईएसी को अंतरित किया जाना अनुमेय है।
- (iii) यदि नोडल एजेंसी किसी विशेष कर्मचारी सहायता केंद्र (ईएसी) के लिए विनिर्दिष्ट वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तो स्वीकृत राशि वापस की जानी होगी और इस संबंध में विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

4.6 एजेंसियों को वित्तीय सहायता: लोक उद्यम विभाग द्वारा स्थान को किराए पर लेने, संकाय सदस्यों एवं सहायक स्टाफ के वेतन/मानदेय, प्रशिक्षण सामग्री की लागत, प्रशिक्षुओं के प्रचालन-पूर्व व्यय, कार्यालय व्यय तथा परियोजना रूपरेखाओं, बैंकों को आवेदन आदि सहित अनुवर्ती सेवाओं की लागत पर विचार किए जाने के बाद और लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित व्यय संबंधी विशिष्ट मानदंडों के अनुसार बजटीय आबंटन से नोडल एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

4.7 व्यय संबंधी मानदंड: नोडल एजेंसियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए व्यय हेतु निम्नलिखित व्यय संबंधी मानदंड लागू होंगे:-

क्र. सं.	विवरण	प्रशिक्षण कार्यक्रम		
		30 दिन	45 दिन	60 दिन
1.	तैयारी संबंधी कार्य (जागरूकता-सह-प्रेरणा, सर्वेक्षण एवं प्रचार, काउंसिलिंग प्रक्रिया आदि)	700	700	700
2.	कार्यालय व्यय (अवसंरचना, कार्यालय उपकरण, वेतन, लेखन-सामग्री, पत्रिकाओं आदि पर और परियोजना रूपरेखाओं, बैंक ऋणों हेतु सहायता एवं फील्ड दौरों आदि पर व्यय सहित)	500	750	1000
3.	प्रशिक्षण व्यय	3000	3850	4700
4.	वृत्तिका (स्टाइपेंड)	1800	2700	3600
5.	अनुवर्ती कार्रवाई	1000	1000	1000
	कुल	7000	9000	11000

4.8 निधि की रिलीज: सीआरआर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए व्यय संबंधी मानदंड में किए गए उल्लेखानुसार विभिन्न व्यय किए जाने के लिए नोडल एजेंसियों को 50:50 के अनुपात में दो किश्तों में अग्रिम का भुगतान किया जाएगा। निधि जारी किए जाने के लिए प्रति अभ्यर्थी औसत मानदंड 8600 रु. होगा (30, 45 एवं 60 दिनों के मॉड्यूल के लिए क्रमशः 40:40:20 के अनुपात पर विचार करते हुए)।

4.9 केवल संतोषजनक प्रगति और उपयोग प्रमाण पत्र एवं पिछली रिलीज हेतु व्यय विवरण की प्राप्ति के बाद ही दूसरी किस्त पर विचार किया जाएगा। जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम जारी किया जाएगा। स्कीम में पारदर्शिता लाने के लिए नोडल एजेंसियों द्वारा (i) आधार संख्या प्राप्त करके वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों का स्कीम के अंतर्गत नामांकन, और (ii) बैंकिंग प्रणाली के जरिए प्रशिक्षुओं को वजीफे के वृत्तिका की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। अनुवर्ती कार्रवाई और वीआरएस का विकल्प लेने वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों के पुनः नियोजन के संबंध में ऑनलाइन डाटा सुनिश्चित करने के बाद ही "अनुवर्ती कार्रवाई" घटक के अंतर्गत निधि जारी की जाएगी।

4.10 विवरणियां प्रस्तुत करना: नोडल एजेंसियां आवधिक रूप से निर्धारित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करेंगी। नोडल एजेंसियां समय पर विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करेंगी। नोडल एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी बैच का प्रशिक्षण पूरा होते ही प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र (लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा) के अनुसार सीआरआर पोर्टल के डाटाबेस में प्रशिक्षुओं का नाम, आयु, वीआरएस की तारीख, वीआरएस संख्या, फोटोग्राफ, सीआरआर के अंतर्गत प्रशिक्षण के विवरण जैसे प्रशिक्षुओं के व्यापक विवरण शामिल करते हुए ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि की जाए। बैच-वार डाटा प्रविष्टि पूरी होने के बाद ही लोक उद्यम विभाग व्यय संबंधी मानदंडों के अनुसार निधि के 50% की दूसरी किस्त जारी करेगा।

5. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की भूमिका

5.1 सीआरआर स्कीम के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की भूमिका को अधिक उत्तरदायी बनाना और स्कीम के कार्यान्वयन में उनका अधिक योगदान अपेक्षित है। विशेष रूप से, लाभ कमा रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्कीम के कार्यान्वयन में अपने योगदान के संबंध में अधिक जवाबदेह बनना होगा। वीआरएस/वीएसएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को अलग किए जाने से पहले केन्द्रीय सरकारी उद्यम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें संगठन से कार्यमुक्त किए जाने से पूर्व उनके सभी लंबित दावों का भुगतान कर दिया जाए ताकि वे नए माहौल में आजीविका कमाने की अपनी भावी प्रक्रिया की योजना बना सकें। तथापि, ऐसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों/इकाइयों से अधिक संख्या में कर्मचारियों के वीआरएस/वीएसएस का विकल्प लेने की उम्मीद है जो बंद होने वाली हैं या जिनका परिसमापन किया जा रहा है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों/संबंधित इकाइयों की भूमिका नोडल एजेंसियों को वीआरएस/वीएसएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की सूची सौंपने तक सीमित होगी।

5.2 वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की जानकारी का प्रसार: विशेष रूप से वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की जानकारी नोडल एजेंसियों तक पहुंचाने और अलग होने से पूर्व उनकी काउंसिलिंग की व्यवस्था करने में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की भूमिका एवं दायित्व अधिक हैं। वीआरएस/वीएसएस/ छंटनी स्कीम शुरू करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को ऐसे कर्मचारियों की पहचान

करनी होगी जिन्हें कार्यमुक्त किया जाना है, अलग किए गए कर्मचारियों के लिए रिलीज अनुसूची तैयार करनी होगी और नोडल एजेंसियों को सर्वेक्षण एवं अलग होने के बीच का समयांतराल कम किए जाने की सूचना देनी होगी। सभी नोडल एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सीआरआर वेबसाइट में वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की बुनियादी जानकारी डाली जाएगी। विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की पहचान बनाए रखने एवं दोहराव से बचने के लिए वीआरएस का विकल्प लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वीआरएस पत्र में अनन्य वीआरएस संख्या दी जाएगी जो सीआरआर वेबसाइट के जरिए सृजित वीआरएस कुंजी को दर्शाएगी।

5.3 काउंसिलिंग-पूर्व एवं काउंसिलिंग संबंधी कार्यकलाप: रिलीज के पूर्व उद्यमों द्वारा वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को उद्यम से निकलने के बाद उनके लिए उपलब्ध रोजगार/स्व-रोजगार अवसरों की जानकारी देने के लिए काउंसिलिंग की जाएगी। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को रिलीज किए जाने से पूर्व केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा वीआरएस पूर्व सुग्राहीकरण अनिवार्य होना चाहिए और उसका आयोजन साभिप्राय किए जाने की जरूरत है। पास में अवस्थित नोडल एजेंसियां ऐसे प्रेरणा/काउंसिलिंग सत्रों में भाग लेंगी। केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विनियोजन प्रक्रिया पर कार्रवाई करने के लिए व्यापक प्रणाली तैयार किया जाना अपेक्षित है। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों के वित्तीय बकायों का वितरण विभिन्न बैंकों, राज्य वित्त निगमों आदि के अधिकारियों की उपस्थिति में सामूहिक बैठकों में किया जाए।

5.4 मानव संसाधन विभाग की भूमिका: उद्यम का मानव संसाधन विभाग ऐसे काउंसिलिंग कार्यक्रमों का प्रभारी होगा और वह काउंसिलिंग, पुनः प्रशिक्षण एवं पुनःनियोजन के प्रयोजनार्थ चुनी गई नोडल एजेंसियों को वीआरएस/वीएसएस/छंटनी पर रिलीज किए जा रहे कर्मचारियों की सूची की प्रति प्रस्तुत करेगा। सीआरआर वेबसाइट प्रचालनरत है। वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की सूची वेबसाइट पर डाली जाएगी और उसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा। मानव संसाधन विभाग प्रशिक्षुओं के लगातार संपर्क में रहेगा और नए संगठनों में उनके नियोजन या उनके स्व-रोजगार के संबंध में रिकॉर्ड रखेगा। उन्हें अलग किए गए कर्मचारियों के पुनर्वास संबंधी कार्यकलापों में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान नोडल प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में भी रहना चाहिए। वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने में प्रशिक्षण पश्चात कार्यकलापों एवं अनुवर्ती सेवाओं को अधिक कारगर बनाने के लिए संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम का निदेशक(कार्मिक) युक्तिसंगत बनाए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सलग्न नोडल एजेंसी के लगातार संपर्क में रहेगा।

5.5 कर्मचारी संसाधन केंद्र(ईआरसी): प्रत्येक केंद्रीय सरकारी उद्यम अपने मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत कर्मचारी संसाधन केंद्र(ईआरसी) गठित करेगा जो उद्यम के आवश्यकता से अधिक/युक्तिसंगत बनाए गए मानव संसाधनों का रिकॉर्ड रखने और ऐसे कर्मचारियों/कामगारों के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

5.6 फील्ड अधिकारियों/इकाइयों हेतु परिपत्र/दिशानिर्देश: स्कीम के सार्थक कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकारी उद्यम यह सुनिश्चित करेंगे कि सीआरआर स्कीम से संबंधित परिपत्र/दिशा-निर्देश केंद्रीय सरकारी उद्यमों के सभी फील्ड अधिकारियों/इकाइयों/डिविजनों को परिचालित किए जाएं।

6. नोडल एजेंसियों की भूमिका

6.1 स्कीम के कारगर कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यमों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेंगी। नोडल एजेंसियों का प्रबंधन दल लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुमोदित व्यय संबंधी मानदंडों के अनुसार, वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की काउंसिलिंग, पुनःप्रशिक्षण तथा पुनःनियोजन/स्व-रोजगार के कार्य के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा। प्रबंधन दल केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से अलग होने के बाद किसी क्षेत्र के आस-पास रहने वाले, वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के समूहों की काउंसिलिंग एवं उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकतानुसार उस स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कर्मचारी सहायता केन्द्रों (ईएसी) की स्थापना करेंगे।

6.2 नियोजन रिकार्ड तथा व्यक्तिगत विवरण का नोडल एजेंसियों द्वारा रखा जा रहे रजिस्ट्रेशन फार्मों में उल्लेख किया जाना है ताकि अभ्यर्थी का उस केन्द्रीय सरकारी उद्यम, जहां से वह स्वैच्छिक रूप से अलग हुआ/सेवानिवृत्त हुआ, से उसके नियोजन सम्पर्क तथा सी आर आर के लिए उसकी पात्रता का पता चल सके। ऐसे रिकार्ड ईएसी पर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए तथा लोक उद्यम विभाग के द्वारा किए जाने निरीक्षण अथवा लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6.3 एजेंसियों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षकों/छोट व्यक्तियों के संबंध में ईएसी पर पूरा रिकार्ड रखा जाना चाहिए/उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न कौशल/कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए उनकी योग्यता एवं अनुभव को दिखाया गया हो। ईएसी का प्रभारी ऐसे रिकार्डों को रखने तथा लोक उद्यम विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

6.4 सर्वेक्षण : एजेंसियां व्यापक प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण करेगी। सर्वेक्षण में अलग हुए तथा माइग्रेटेड वी आर एस विकल्पधारियों को शामिल किया जाएगा। चयनित नोडल एजेंसियों/विशेषज्ञों संस्थाओं की सहायता से मानकीकृत सर्वेक्षण घटकों का विकास किया जाएगा।

6.5 परामर्श : प्रशिक्षण के स्वरूप (ट्रेनिंग फार्मेट) में परामर्श के लिए एजेंसियों के पास विशेष एवं पर्याप्त माड्यूल होंगे। अनुमोदित व्यय मानदण्ड की दृष्टि से वे व्यवसायिक परामर्शदाताओं की सेवाएं ले सकते हैं। व्यक्तिगत कौशल, अभिवृत्ति तथा निवेश क्षमता के साथ सक्षम परियोजनाओं के ठीक अनुरूप उसे सुगम बनाने के लिए वैज्ञानिक परामर्श पर ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत परामर्श पर बल दिया जाएगा तथा परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाएगा ताकि नौकरी चले जाने के दर्द के समाधान में पूरा परिवार सक्रिय रूप से जुड़ा महसूस कर सके तथा वैकल्पिक व्यवसाय के चयन में सहायता कर सके। शिक्षण कक्ष में परामर्श देने के दृष्टिकोण को हतोत्साहित किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए जहां तक संभव हो, महिला परामर्शदाताओं को लगाया जाएगा।

6.6 प्रशिक्षण डिजाइन तथा डिलीवरी : नोडल एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित वीएसएस/वीआरएस विकल्पधारियों/आश्रितों को 'न्यूनतम कौशल सेट/न्यूनतम उद्यमशीलता सेट' उपलब्ध कराना होगा ताकि वे

स्वयं का व्यवसाय/उद्यम शुरू कर सकें या उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें। प्रभावशाली एवं सार्थक प्रशिक्षण डिजाइन तथा डिलीवरी देने की दृष्टि से नोडल एजेंसियों को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:

- (i) प्रशिक्षण/कौशल विकास के लिए ट्रेड का चयन परामर्श के दौरान व्यक्त की गई इच्छा के अनुसार वीएसएस/वीआरएस विकल्पधारियों/आश्रितों की मूल योग्यताओं/कौशल/अभिवृत्ति तथा जरूरतों के आधार पर किया जाएगा।
- (ii) सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के लिए नोडल एजेंसियां पाठ्यक्रम विषय-वस्तुओं की डिजाइन कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए डीजीई एण्ड टी द्वारा ट्रेड-वार तैयार करेंगी।
- (iii) सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाए। एजेंसियां ब्रोशर तथा हैंडबिल आदि स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करेंगी तथा इन्हें व्यापक रूप से वितरित करेंगी।
- (iv) नोडल एजेंसियों को ट्रेड/प्रशिक्षण विषय के अनुसार 30, 40 तथा 60 कार्य दिवस के तीन माड्यूलों का अनुपालन करना होगा। सामान्य रूप से 5 घण्टे के प्रशिक्षण को एक दिन के रूप में गिना जाएगा। किसी दिन (दिनों) के अपेक्षाकृत कम अवधि के प्रशिक्षण के मामले में माड्यूल की अवधि को समुचित ढंग से समायोजित किया/बढ़ाया जा सकता है।
- (v) नोडल एजेंसियों को कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए अपने संकाय सदस्यों की सहायता से उपयुक्त पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करनी होगी। संबंधी घटकों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के बीच सम्यक संबंध बनाए रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षण डिजाइन तथा डिलीवरी को समय-समय पर अद्यतन करना होगा ताकि बाजारोन्मुख ट्रेडों/क्षेत्रों में पुनर्नियोजन संभव हो सके।
- (vi) नोडल एजेंसियों को प्रशिक्षण के लिए नए क्षेत्रों/कौशल की पहचान करने के लिए मार्केट सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। प्रशिक्षण की बाजारोन्मुख ट्रेड/क्षेत्रों को कौशल विकास तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें प्रचलित बाजार परिदृश्य में अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने के लाभार्थियों में अपना उद्यम शुरू करने के लिए तैयारी शामिल होगी।
- (vii) नोडल एजेंसियों द्वारा उद्यमशीलता जरूरतों तथा बाजार में मांग के अनुसार प्राप्त किए जाने वाले कौशल के लिए लाभार्थियों के उत्साह तथा प्रेरणा को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण विषय (ट्रेड) तथा पुनर्नियोजन जरूरतों के क्षेत्र के बीच तालमेल न होने की स्थिति से बचना चाहिए तथा इस बारे में प्रशिक्षण जरूरत मूल्यांकन (टीएनए) की सिफारिश को जानी चाहिए।
- (viii) कौशल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों को चित्रात्मक डायग्राम आदि प्रदर्शित करने वाले/स्पष्ट करने वाली ट्रेड-

वार प्रकाशित सामग्री दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम विषय-वस्तु में व्यवहारिक सत्र शामिल किए बिना प्रशिक्षण का कोई मायने नहीं है।

- (ix) व्यवहारिक प्रशिक्षण में प्रस्तुतिकरण, प्रशिक्षणार्थियों द्वारा क्रिया करना, सत्र, यूनिटों/फैक्टरियों/औद्योगिक स्थलों आदि का दौरा शामिल होना चाहिए। नोडल एजेंसियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण को प्रयोजनमूलक बनाने के लिए तरीके और साधन तैयार करने चाहिए।
- (x) स्कीम के कार्यान्वयन में स्थानिय स्टेकहोल्डरों को शामिल करने के लिए सर्टिफिकेट वितरण के कार्यक्रम में एजेंसियों द्वारा स्थानिय निकायों, मार्केटिंग एसोसिएशनों/फेडरेशनों, तथा सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

6.7 समन्वय समितियाँ : स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियों, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और अन्यो के बीच नियमित रूप से बातचीत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रयोजन हेतु, नोडल एजेंसी को स्थानीय स्तर की समन्वय समितियाँ बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें आस-पास की मुख्य/अन्य केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की इकाइयों से प्रतिनिधि, मुख्य बैंकों/राज्य वित्तीय संस्थानों आदि से अधिकारी शामिल हों। ये समितियाँ, इस स्कीम के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा और उस पर विचार-विमर्श करने के लिए आवधिक रूप से बैठक कर सकती हैं। लोक उद्यम विभाग को समन्वय समिति में प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रयास करने के संबंध में और बैठकों और समिति द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में समय-समय पर सूचित किया जाता रहेगा।

7. अनुवर्ती कार्रवाई एवं पुनःनियोजन रणनीतियाँ

7.1 स्कीम के सफल होने में अनुवर्ती कार्रवाई एक मुख्य कारक है। नोडल एजेंसियों को सभी मामलों में तब तक प्रभावी ढंग से उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी जब तक इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित वीएसएस/वीआरएस विकल्पी पुनःनियोजित/स्वनियोजित नहीं हो जाते। एक सुनियोजित एवं क्रमिक अनुवर्ती कार्रवाई पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उनके पुनःनियोजित होने तक उनकी जानकारी रखने के प्रयासों का रिकार्ड, प्रत्येक ईएसी में रखा जाएगा और उसे लोक उद्यम विभाग में भेजा जाएगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को पुनःप्रशिक्षित वीआरएस विकल्पियों की मॉनीटरिंग करने और उन के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।

7.2 ऋण/लघु क्रेडिट लेने में लाभ प्राप्त करने वालों को सहायता – नोडल एजेंसियाँ प्रशिक्षित वीआरएस विकल्पियों/आश्रितों को नियोजित करने के संबंध में विकल्प ढूँढेगी। पुनःनियोजन/स्वनियोजन के प्रयोजनार्थ, नोडल एजेंसियाँ प्रशिक्षणार्थियों, डीपीई, संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ निरन्तर संपर्क बना कर रखेगी ताकि उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए बैंक ऋण हेतु आवेदनों को प्रायोजित कर सकें और बैंकों द्वारा उन्हें ऋण देने के कार्य को सुकर बना सकें जो स्वःनियोजन संबंधी गतिविधियों को स्थापित करना चाहते हैं। वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्पियों के पुनःनियोजन और माइक्रो फाइनेंसिंग पर इनपुट्स प्रदान आदि करने के लिए के वीआईसी/एसआईडीबीआर/सार्वजनिक क्षेत्र के

बैंकों आदि के साथ निरन्तर संपर्क में रहेंगे। ऐसे प्रयासों से संबंधित ब्यौरे लोक उद्यम विभाग को भेजे होंगे।

7.3 स्व सहायता समूह बनाना: नोडल एजेन्सियों को स्व सहायता समूह बनाने में सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिए जो कि एक दूसरे के अनुभवों को बांटने और उससे सीख लेने के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म है। सीआरआर योजना के अंतर्गत महिला बैंक योजना का लाभ उठाया जाना चाहिए जो कि सामान्य रूप में महिलाओं को और विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने हेतु समर्पित हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक स्कीम है, नामतः “व्यापार संबंधी एंटरप्रेन्योरशिप सहायता एवं विकास (ट्रेड) जो कि पूरी तरह से महिलाओं के लिए है जिसके अंतर्गत संबद्ध संस्थानों के रूप में गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीयकृत बैंकों से महिला एवं सहायता समूहों के लिए बैंक ऋण का लाभ ले सकते हैं। नोडल एजेन्सियों द्वारा इस योजना को लागू किया जा सकता है। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डीआरडीए) और राज्य शहरी विकास एजेन्सी (एसयूडीए) जैसी एजेन्सियों का माइक्रो क्रेडिट लिंकिंग के लिए स्व सहायता समूह के साथ नेटवर्क होना चाहिए।

8. मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण

8.1 लोक उद्यम विभाग, वार्षिक आधार पर फण्ड की व्यवस्था करने, नोडल एजेन्सियों और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और आवश्यक निदेश एवं दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए समन्वय एजेन्सी होगा। लोक उद्यम विभाग निर्धारित प्रक्रिया के जरिए नोडल एजेन्सियों/नए इएसी का चयन करेंगे अथवा स्कीम की प्रगति की आवधिक समीक्षा करने पर चयन समिति द्वारा उनकी खराब कार्यनिष्पादन को देखते हुए उसे सूची से हटाएंगे। लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा उचित एजेन्सियों/संस्थानों के जरिए समय-समय पर स्कीम की मॉनीटरिंग, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन किया जाता रहेगा। इसके अलावा एक समवर्ती मॉनीटरिंग प्रणाली भी बनाई जाएगी।

8.2 समय-समय पर लोक उद्यम विभाग के अधिकारियों द्वारा नोडल एजेन्सियों का निरीक्षण किए जाने के अलावा उनकी तीसरा पक्ष निर्धारण एजेन्सियों (टीपीएए) द्वारा मॉनीटरिंग और क्षेत्रीय निरीक्षण भी किया जा सकता है। नोडल एजेन्सियों का मूल्यांकन करते समय यदि टीपीएए द्वारा कोई अनियमितता/कमी की सूचना दी जाती है अथवा लोक उद्यम के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करते समय कोई अनियमितता/कमी देखने में आती है तो सीआरआर योजना के तहत ऐसी चूककर्ता नोडल एजेन्सियों के साथ किए गए अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है और भविष्य में ऐसी एजेन्सी को सूचीबद्ध किए जाने पर रोक लगा दी जाएगी।